OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur./ 2397 Dated:- 26.03.10

30 MAR 2010

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna

Sir,

Audit Report No. 712/**09-10** on the accounts of **Nagar Panchayat Janakpur Road** for the **period 2005-2006 to 2008-09** is enclosed for your kind information and necessary action.

Encl:- As above

Yours Sincerely

26.3.10
(Manoj Kumar)

Sr. Audit Officer/Surcharge

वित्तीय वर्ष :- 2005-06 से 2008-09 हेतु नगर पंचायत जनकपुर रोड के लेखाओं का अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 712/09-10

1. प्रस्तावना :-

नगर पंचायत, जनकपुर रोड के लेखाओं का लेखा-परीक्षा वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि हेतु कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक अंकेक्षक दल द्वारा दिनांक 07.11.09 से 01.12.09 की अवधि में की गई।

2. प्रशासन :-

(i)	**अध्यक्ष का नाम**	**कार्य अवधि**
(क)	श्रीमती राजकुमारी देवी	01.04.05 से 27.07.08 तक
(ख)	श्रीमती शैल देवी	28.07.08 से 31.03.09
(ii)	**उपाध्यक्ष का नाम**	**कार्य अवधि**
(क)	श्री दिनेश भारती	01.04.05 से 04.09.08 तक
(ख)	श्री दिनेश भारती	05.09.08 से 31.03.09 तक
(iii)	**कार्यपालक पदा0 का नाम**	**कार्य अवधि**
(क)	श्री संतोष कुमार सिंह	01.04.05 से 07.05.07 तक
(ख)	श्री युगल किशोर सिंह	08.05.07 से 29.06.07 तक
(ग)	श्री अजय कुमार	30.06.07 से 02.07.07 तक
(घ)	श्री अनसार अहमद	01.09.07 से 14.02.09 तक
(ड0)	श्री संतोष कुमार झा	15.02.09 से 31.03.09 तक

3.लेखा परीक्षा का कार्यक्षत्र :-

लेखा परीक्षा के दौरान जो अभिलेख/संचिका /पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किए गये उनकी सूची परिशिष्ट-1 (क) में और जो अभिलेख संचिका/पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नही किए गये उनकी सूची परिशिष्ट- 1-(ख) में दी गयी है।

73

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ :-

विवरण	कंडिका सं0
1. शिक्षा उपकर की कम वसूली रू079668.00	8
2. स्वास्थ्य उपकर की कम वसूली रू0 79668.00	9
3. होल्डिंग टैक्स की राशि का कम जमा किया जाना रू0 22500.00	12
4. गृह कर का पुनरीक्षण न किया जाना	15
5. आपत्ति जनक एवं खतरनाक व्यवसाय अन्तर्गत रू0 28400.00 की वसूली नहीं	17
6. मोबाईल टावर कम्पनी से रू0 560000.00 की वसूली नहीं	18
7. मैचिंग ग्राण्ट की प्राप्ति नहीं होने के कारण हानि रू0 99861.40	19
8. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के वेतन पर अनियमित व्यय रू0 406152.00	23

5. आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

यद्यपि बिहार और उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि बिहार नगर पालिका लेखा नियम- 1928 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विविध प्रकार के आन्तरिक जाँच का प्रावधान किया गया है। पुनश्च, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के खण्ड 97 में बिहार सरकार अथवा नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधान के तहत दिन/प्रतिदिन के लेखाओं का आन्तरिक लेखा परीक्षा करवाने का प्रावधान है।

परन्तु, उपर्युक्त प्रावधानों का सही प्रकार से पालन नहीं किए जाने के कारण नगर पंचायत के लेखाओं में विविध त्रुटियाँ दृष्टिगत हुई, जिनका विवरण आगे की कण्डिकाओं में दिया गया है।

6. वित्तीय अधिदृश्य :-

अंकेक्षण को उपलब्ध कराए गये लेखापाल रोकड़ बही के आधार पर वर्ष 05-06 से 08-09 के विवरणी निम्न थे।

72

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आ0 शेष	25074.02	380531.19	1261320.41	4394644.52
प्राप्ति	1048416.17	4489386.22	4611706.11	4907659.74
कुल प्राप्ति	1073490.19	4869917.41	5873026.52	9302304.26
व्यय	692959.00	3608597.00	1478382.00	1067317.00
अन्त शेष	380531.19	1261320.41	4394644.52	8234987.26

बैंक खाते का अन्तशेष (31.03.09) = रू. 8287386.31

रोकड़ बही का अन्तशेष (31.03.09)= (-)रू. 8234987.26

अन्तर = रू0. 52399.05

इस प्रकार, मुख्य रोकड़ बही के शेष और सभी बैंक खाते के शेष का अन्तर रू0 52399.05 की राशि की समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

दिनांक 31.03.09 को बैंक/ट्रेजरी पासबुक के अवशेष की विवरणी निम्न थे।

क0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	31.03.09 को शेष
1	भा0स्टे0बैंक जनकपुर रोड (सभी मद की राशि जमा है)	11456663707(पुराना)/ 01190007104(नया)	3171882.67
2	तदैव	11456672075(पुराना)/ 01190008183(नया)	513651.74
3	तदैव	1145663109(पुराना)/ 01170080952(नया)	117771.93
4	इलाहाबाद बैंक, जनकपुर रोड (BRGF की राशि जमा है)	4432	790000.00
5	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (SJSRY की राशि जमा है)	4328	239721.00
		कुल शेष	4833027.34
		P/L खाता	3572130.90

(71)

कुल शेष	8405158.24
−	117771.93
	8287386.31

लेखापाल रोकड़ बही का अन्तशेष रू0 8234987.26

लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0 11456631094 (पुराना)/ 01170080952 (नया) हेतु अलग रोकड़ बही संधारित की गयी थी एवं इसकी राशि की प्रविष्टि मुख्य रोकड़ में नहीं की गयी थी।

7. बजट :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 व बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा क्रमशः 71 व 82 में नगर निकायों द्वारा वार्षिक बजट तैयार करने का प्रावधान है।

लेकिन अंकेक्षण में मांगे जाने के बावजूद बजट उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अगले अंकेक्षण में बजट को दिखलाया जाय।

8. शिक्षा उपकर की कम वसूली :-

बिहार प्राथमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम (बि0प्रा0शि0सं0अ0) 1959 के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1959 से गृह कर का 6.25 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर आरोपित किया गया जिसे कालान्तर में समय समय पर संशोधित करते हुए दिनांक 01.04.1982 से 50 प्रतिशत कर दिया गया । शिक्षा उपकर के तहत वसूल की गयी राशि का 10 प्रतिशत संग्रहण शुल्क के रूप में स्वंय की निधि में रखते हुए शेष 90 प्रतिशत राशि नगर निकाय द्वारा राज्य कोषागार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा करनी थी ।

लेकिन, अंकेक्षण में उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार शिक्षा उपकर के वसूली की स्थिति इस प्रकार थी :-

वर्ष	गृहकर की वसूली रू0	शिक्षा उपकर की वसूली की गई राशि रू0	शिक्षा उपकर की वसूली योग्य राशि रू0	कम वसूली
2005-06	102907.20	19684.95	51453.60	31768.65
2006-07	57994.10	12471.60	28997.05	16525.45
2007-08	44171.20	10747.30	22085.60	11338.30
2008-09	74403.40	17166.35	37201.70	20036.35
			कम वसूली की कुल राशि	79667.75 या 79668.00

अतः 10 प्रतिशत संग्रहण शुल्क की राशि =रू0 7967.00

इस प्रकार कम वसूली के कारण एक ओर नगर पंचायत निधि को रू0 7967.00 की हानि हुई तो दूसरी ओर राज्य कोषागार को रू0 71701.00 की हानि हुई। हानि की उक्त राशि रू0 79668.00 की वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

9. स्वास्थ्य उपकर की कम वसूली :-

बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 14.05.72 को समस्त नगरपालिका/नगर पंचायतो को जारी अपने एक आदेश में गृह कर का 20 प्रतिशत बतौर स्वास्थ्य उपकर वसूलने को कहा। कालान्तर में पत्रांक 539/ 25.02.73 व पत्रांक 72-018/ 83-871(7)/05.07.83 द्वारा उक्त कर की दर को बदल कर 50 प्रतिशत कर दिया गया। वसूल की गई स्वास्थ्य उपकर की उक्त राशि का 10 प्रतिशत संग्रहण शुल्क के रूप में स्वंय रखते हुए शेष 90 प्रतिशत की राशि राज्य कोषागार में सम्बन्धित शीर्ष में जमा करना था।

लेकिन, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत आंकड़े के आधार पर गृह कर व स्वास्थ्य उपकर की वसूली की स्थिति इस प्रकार थीः-

वर्ष	**गृहकर की वसूली रू0**	**स्वास्थ्य उपकर की वसूली रू0**	**स्वास्थ्य उपकर की राशि जो वसूली होनी थी रू0**	**कम वसूली रू0**
2005-06	102907.20	19684.95	51453.60	31768.65
2006-07	57994.10	12471.60	28997.05	16525.45
2007-08	44171.20	10747.30	22085.60	11338.30
2008-09	74403.40	17166.35	37201.70	20036.35
			कम वसूली की कुल राशि	**79667.75 या 79668.00**

अतः 10 प्रतिशत संग्रहण शुल्क की राशि =रू0 7967/-

इस प्रकार स्वास्थ्य उपकर की कम वसूली के कारण एक ओर जहाँ नगर पंचायत निधि को रू0 7967.00 की हानि हुई वहीं राज्य कोषागार को 71701.00 की हानि हुई।

(69)

अतएव, हानि की उक्त राशि रू0 79668.00 की वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय ।

10. नये मकानों पर गृह कर नहीं लगाये जाने के कारण राजस्व की भारी क्षति :-

उपलब्ध कराए गये आँकड़ो के अनुसार गृहकर आरोपित मकानों की संख्या एवं नये गृह बनाये जाने की संख्या की स्थिति इस प्रकार थीः-

वर्ष	मकानो की सं0 जिन पर गृह कर आोपित है
2005-06	1652
2006-07	1652
2007-08	1652
2008-09	1652

एवं

नक्शा पारित हेतु प्रस्तुत आवेदन	पारित/ अनुमोदित नक्शों की सं0	मकानो की सं0 जो नक्शा अनुमोदन के बाद बने	वर्ष
11	11	11	2005-06
19	19	19	2006-07
07	07	07	2007-08
02	02	02	2008-09
	कुल	39	

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्ष :- 2005-06 से 2008-09 के मध्य कुल 39 मकान के नक्शे पारित हुए, और उतने ही मकान बन भी गये। परन्तु, इन नव निर्मित भवनों पर 31.03.09 की तिथि तक कोई गृहकर आरोपित नहीं किया गया। फलस्वरुप न केवल नगर पंचायत निधि को वार्षिक राजस्व की क्षति हुई अपितु शिक्षा व स्वास्थ्य उपकर के रूप में राज्य कोषागार को भी क्षति उठानी पड़ रही है।

अतः इन नवनिर्मित भवनों पर अविलम्ब गृहकर आरोपित किया जाय।

11. बिना नक्शा पारित मकान बनाने के कारण कुल 144600.00 रू0 की हानि :-

पंचायत मे कुल 482 ऐसे नये मकान बनाये गये जो बगैर नक्शा पारित करवाये बनवाए गये थे जिनका विवरण इस प्रकार है:-

वार्ड सं0	बगैर नक्शा पास करवाए सृजित मकानों की सं0
01	29
02	27
03	61
04	24
05	17
06	26
07	73
08	29
09	106
10	90
कुल	482

उक्त तथ्यों की जानकारी नगर पंचायत को जून 2007 में कर दारोगा द्वारा किए गये एक सर्वेक्षण द्वारा हुई। पुनः नगर पंचायत की संचिकाओं से ज्ञात होता है कि दिनांक 23.03.05 को बोर्ड की सामान्य बैठक की प्रस्ताव संख्या 22 द्वारा किसी भी प्रकार के गृह नक्शा को पारित किए जाने हेतु शुल्क रू0 300.00 तय किया था। अतः स्पष्ट है कि :-

(i) बगैर नक्शा पारित किए गृह निर्माण के कारण कुल रू0 144600.00 (482X300) की हानि नगर पंचायत को हुई जिसकी वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

(ii) जून '07 में उक्त तथ्यों की जानकारी के पश्चात भी नगर पंचायत द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप, नगर पंचायत निधि को एक बड़ी राशि की हानि उठानी पड़ रही है।

(67)

12. गृह कर की राशि कम जमा किया जाना :-

गृह कर रसीद, दैनिक संग्रह पंजी, रोकड़पाल रोकड़ बही, लेखापाल रोकड़ बही व बैंक पासबुक के जाँचोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि गृह कर के रूप में फार्म- H द्वारा वसूली राशि में से कुल रू0 22500.00 कम जमा किया गया। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- II पर)।

कम जमा की गई उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

13. गृह कर संग्रहण की राशि का विलम्ब से जमा किया जाना:-

गृहकर रसीद, रोकड़पाल रोकड़ बही व बैंक पासबुक के जाँच के दौरान ज्ञात हुआ कि कर दारोगा श्री राजेन्द्र साह व तहसीलदार श्री लालधारी प्रसाद द्वारा कर संग्रहण की राशि बैंक खाते में 4 से 20 माह विलम्ब से जमा किया गया। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर) जो गंभीर अनियमितता है।

एक लम्बे समय तक कर संग्रहण की राशि अपने पास रखने के कारण उक्त राशि का संग्रहकर्त्ता द्वारा दुरोपयोग की प्रबल आशंका के आलोक में इस प्रकार की प्रवृत्ति पर भविष्य में विराम लगाने की अनुशंसा की जाती है।

14. गृह कर वसूली की दयनीय स्थिति :-

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े के अनुसार, वर्ष 05-06 से 08-09 अन्तर्गत गृहकरों की माँग तथा वसूली की स्थिति निम्न थी :-

राशि लाख में

वर्ष	कुल माँग	वसूली	अवशेष	वसूली का प्रतिशत
05-06	44.4	1.94	42.10	4.40
06-07	47.35	1.12	46.23	2.37
07-08	51.49	0.88	50.61	1.71
08-09	55.86	1.46	54.40	2.61

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा गृह करों की वसूली की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। यह कुल माँग का मात्र 1.71 से 4.40 के बीच ही था।

(66)

पुनः सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 4 न0 (2) - 106/96-1833/ न0वि0वि0 तिथि 23.06.05 द्वारा नगर पंचायत जनकपुर रोड के गृह कर वसूली हेतु रू0 667050.00 का वार्षिक लक्ष्य तय किया गया। तदोपरान्त, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 4 (न) क-01/2005- 5118/न0वि0 एवं आ0वि0 तिथि 20.09.08 द्वारा तय वार्षिक लक्ष्य का 40 प्रतिशत अर्थात रू0 266820.00 की वसूली अनिवार्य बनाया गया।

उक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि गृह कर वसूली की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। अतः लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समस्त आवश्यक उपाय अविलम्ब किए जाये।

15. गृहकर का पुनरीक्षण न किया जाना :-

(i) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि गृह कर वसूली की वर्तमान दर वर्ष 1998-99 से ही लागू है। जबकि, बिहार नगर पालिका अधिनियम 1922 के खण्ड 106 द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गृहकरों का मूल्यांकन किया जाना है पुनरीक्षण न किये जाने के कारण नगर पंचायत निधि को एक बड़ी राशि की क्षति उठानी पड़ रही है।

(ii) पुनः सड़क के वर्गीकरण व कारपेट क्षेत्र0 के आधार पर गृहकर लागू करने के वास्ते नये दर को राज्य सरकार की संस्तुति पत्रांक 4 न0- क0-50/05-3781/न0वि0वि0 तिथि 02.12.05 द्वारा दी जा चुकी है। लेकिन, 4 वर्षो के उपरान्त भी नगर पंचायत नये दर से गृह कर लागू नहीं कर पाया है। नगर पंचायत प्रशासन की इस ओर ध्यान आकर्षिक किया जाता है तथा गृहकर की पुनरीक्षण कर नयी दर को अविलम्ब लागू करवाने की अनुशंसा की जाती है।

16. आपत्ति जनक एवं खतरनाक व्यवसाय के तहत विविध रसीद के तहत प्राप्त राशि का कम जमा :-

आपत्ति जनक एवं खतरनाक व्यवसाय के तहत विविध रसीद द्वारा वर्ष 2008-09 में प्राप्त कुल राशि रू0 2250.00 में से रू0 2150.00 ही बैंक खाते में जमा किए गये थे। अंकेक्षण में इस बात की जानकारी देने के उपरान्त तहसीलदार श्री लालाधारी प्रसाद द्वारा कम जमा की गई उक्त राशि

(65)

रू0 100.00 दिनांक 26.11.09 को भारतीय स्टेट बैंक की पुपरी शाखा के खाता संख्या 01145666 3707 में जमा कर दिया गया।

17. आपत्ति जनक एवं खतरनाक व्यवसाय के तहत रू0 28400/– की वसूली नहीं :–

दिनांक 07.04.07 को तहसीलदार श्री लालधारी प्रसाद द्वारा सूचना दी गयी कि खतरनाक एवं आपत्ति जनक व्यवसाय में रत कुल 35 व्यवसायियों ने जिनके यहाँ कुल रू0 28400.00 बकाया था अपना व्यवसाय बन्द कर दिया है।

लेकिन,उक्त जानकारी के बाद भी नगर पंचायत ने बकाये राशि की वसूली हेतु बकायेदारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। परिणामस्वरूप, कुल रू0 28400.00 की क्षति नगर पंचायत निधि को उठानी पड़ी। हानि की उक्त राशि की वसूली के वास्ते या तो बकाएदारों के विरूद्ध शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाय अन्यथा इसकी वसूली क्षति हेतु जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

18. मोबाईल टावर मालिक से रू0 560000.00 की वसूली नहीं:–

राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने पत्रांक 4123/21.08.07 एवं 4 (न0) न्या0 –77/2008/5499/ न0 वि0 एवं आ0वि0 तिथि– 17.11.09 द्वारा समस्त नगर निकायों को मोबाईल टावर मालिकों से टावर की प्रति मीटर ऊँचाई हेतु प्रति वर्ष रू0 2000.00 वसूलने का आदेश दिया।

लेकिन, बार–बार पत्र देने के बावजूद निम्न मोबाईल टावर कम्पनियों ने अभी तक उक्त राशि नगर पंचायत को नहीं दी थी :–

टावर कम्पनी	**वर्ष**	**टावर की ऊँचाई**	**बकाया राशि (रू0)**
बी0एस0एन0एल0	07–08 व 08–09	40 मी0	160000/–
रिलायन्स टेलीकॉम	07–08 व 08–09	40 मी0	160000/–
एयरटेल	07–08 व 08–09	40 मी0	160000/–
डिशनेट वायरलेस	08–09	40 मी0	80000/–
		कुल बकाया राशि	**560000/–**

उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित टावर कम्पनियों से की जाय तथा इसे नगर पंचायत कोष में जमा कराके अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

19. मैचिंग ग्राण्ट की राशि से वंचित :-

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव के पत्रांक 5/व0 राज्य वित्त 29- 01/08 -5747/ न0वि0 एवं आ0वि0 तिथि 26.11.08 के आलोक में वर्ष 2007-08 में राजस्व संग्रहण का अंकेक्षित प्रतिवेदन या चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा सत्यापित प्रतिवेदन नगर विकास विभाग को प्रेषित किया जाना था, ताकि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 100 प्रतिशत मैचिंग ग्राण्ट नगर पंचायत को उपलब्ध कराया जा सके।

लेकिन, नगर पंचायत के संचिकाओं/पंजियों/अभिलेखों के जाँचोपरान्त ज्ञात हुआ कि इस प्रकार का कोई सत्यापित प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था। फलस्वरूप, नगर पंचायत को मैचिंग ग्राण्ट की राशि रू0 99861.40 (वर्ष 07-08 में वसूली राशि) की प्राप्ति से वंचित रह गया।

20.नगर पंचायत निधि का अनुचित तरीके से बैंक खाते में रखा जाना :-

बिहार नगरपालिका लेखा नियम- 1928 के नियम 21 के अनुसार नगर निकाय निधि हेतु प्राप्त समस्त राशि कोषागार में जमा किया जाना है।

लेकिन, अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि नगर पंचायत द्वारा कर मद में प्राप्त समस्त राशि को भी भारतीय स्टेट बैंक, जनकपुर रोड के खाता संख्या 01145666370 7 में जमा की गयी।

अतः कर मद में प्राप्त समस्त राशि अविलम्ब कोषागार में स्थानान्तरित किया जाय।

21. जल कर आरोपित नहीं किया जाना :-

अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत द्वारा अपनी स्थापना के पश्चात् कभी भी जल कर अधिरोपित नहीं किया गया जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 के धारा 85 व बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 व 128 के विरुद्ध है। फलस्वरूप नगर पंचायत निधि को प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि की क्षति उठानी पड़ रही है।

अतः अंकेक्षण दल द्वारा जल कर तुरन्त अधिरोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

63

22. द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत संदिग्ध व्यय :-

योजना सं0 01/07-08

योजना- शत्रुध्न पासी के घर के निकट चापाकल गड़ाई।

प्राक्कलित राशि - रू0 12800.00

मापी पुस्त की राशि - रू0 12720.60

भुगतान - रू0 12270.00

अभिकर्त्ता - श्री राजेन्द्र साह, टैक्स दारोगा।

कार्य स्थिति - पूर्ण।

उपरोक्त योजना संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि :-

(i) उक्त योजना कार्य हेतु प्राक्कलन कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 20.06.07 को तैयार किया गया, जिसकी तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 21.06.07 को दी गई। तदोपरान्त, उक्त योजना कार्य हेतु श्री राजेन्द्र साह, टैक्स दारोगा को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया।

(ii) योजना कार्य के वास्ते निम्न सामग्रियों का क्रय निम्न मात्रा व निम्न राशि में दिनांक 15.06.07 को M/S Hanuman Hardware Janakpur Road, Sitamarhi (Bihar) से की गई :-

क0सं0	**सामग्री**	**मात्रा**	**कीमत (रू0)**
1	GI Pipe	180ft.	8784.00
2	चापाकल हेड	01 pc	780.00
3	फिल्टर	02 pc	314.00
4	ठेला भाड़ा		100.00
		कुल	**9978.00**

इसके अतिरिक्त, फिलटरिंग व टेस्टिंग हेतु रू0 182.00 और चापाकल गाड़ने हेतु बतौर मजदूरी रू0 2560.00 का भी भुगतान किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रू0 9978.00 मूल्य की सामग्री का क्रय प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व ही कर लिया गया था। फलस्वरूप, योजना

का कार्यान्वयन संदेहास्पद प्रतीत होता है। फलस्वरूप व्यय की गई कुल राशि रू0 12270.00 की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय।

23. दैनिक वेतन भोगियों पर अनियमित व्यय :-

लेखापाल रोकड़ बही से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 05-06 से 08-09 के दौरान कुल 406152.00 रू0 व्यय हुआ जिनका विवरण निम्न है :-

वर्ष	**दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पर व्यय (रू0)**
2005-06	42313.00
2006-07	111914.00
2007-08	85820.00
2008-09	166105.00
कुल व्यय	**406152.00**

ध्यातव्य है कि, बिहार सरकार के पत्रांक 7204/24.11.77, 4052/15.10.81, टेलिप्रिन्टर मेमो न0 3527/02.08.08 व 103/87-06.05.92 द्वारा ऐसे किसी भी पद जो नगर निकाय द्वारा सृजित व बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित न हो, के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति बतौर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई थी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकार के आपत्ति के बावजूद नगर पंचायत द्वारा विभिन्न दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए उनके पारिश्रमिक पर कुल रू0 406152.00 व्यय किया गया। फलस्वरूप, व्यय की उक्त राशि को सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने तक आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

24.कार्यपालक से वार्तालाप :-

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों से महत्पूर्ण मुद्दो पर समय समय पर वार्तालाप की गयी।

25.लेखा परीक्षा परिणाम :- लेखा परीक्षा के फलस्वरूप

1. रू0 100/- की वसूली लेखा परीक्षा की प्रेरणा से हुई।
2. रू0 406152/- को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

3. रू0 927106/- की वसूली की सलाह दी जाती है।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट **IV** पर)

26.सामान्य अभ्युक्ति :-

नगर पंचायत द्वारा राजस्व उगाही की स्थिति बेहद निराशाजनक थी। एक ओर पुराने माँगों के वसूली की स्थिति दयनीय थी वहीं नये मकानों पर गृह कर अधिरोपित ही नहीं हो पाया था। अतः राजस्व वसूली में तेजी लाने और नये राजस्व के स्त्रोत खोलने की सख्त आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में जलकर, टिन टिकट व विकास शुल्क जैसे करो पर विचार किया जाना चाहिए। पुनः नगर पंचायत कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति भी संतोषप्रद नहीं थी। यद्यपि द्वादश वित्त आयोग की राशि से वर्ष 07-08 में योजना संख्या 04/07-08 के तहत रू0 36800.00 व्यय कर कम्प्यूटर का क्रय कर लिया गया लेकिन, उक्त कम्प्यूटर के संचालन हेतु किसी ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं होने के कारण उसके खराब होने की संभावना है। अतः ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

राजीव कुमार झा

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

(60)

सं०एल०ए०/अधिभार 2396 दिनांक 26.03.10

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, जनकपुर रोड,
सीतामढ़ी।

अनुरोध है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर बोर्ड की बैठक में इस प्रतिवेदन में वर्णित आपत्तियों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उसकी सूचना कार्यालय, स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को दी जाय।

ह०

व०ले०प०अ०/अधिभार

सं०एल०ए०/अधिभार 2397 दिनांक 26.03.10

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
2. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।
3. सं०ल०प०अ० (अधिभार)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

26.3.10

व०ले०प०अ०/अधिभार

7/2/09-10 59/6

परिशिष्ट – 1 (क)

(i) खेखापाल लेखा बही।
(ii) रोकड़पाल रोकड़ बही।
(iii) कोषागार पास बुक।
(iv) सरकारी अनुदान पंजी।
(v) ऋण पंजी।
(vi) बैंक पास-बुक।
(vii) भविष्य निधि खाता।
(viii) जमा खाता।
(ix) भण्डार पंजी/खाता।
(x) योजना पंजी।
(xi) न्यूटेशन पंजी।
(xii) भवन आवेदन पंजी।

परिशिष्ट - 1 (ख)

(i) ऋण आवण्टन पंजी।

(ii) आय - व्यय का वार्षिक लेखा।

(iii) भू - खाता।

(iv) अग्रिम पंजी।

(v) अग्रिम समायोजन पंजी।

(vi) स्थायी अग्रिम खाता/पंजी।

(vii) निवेश पंजी।

(viii) सेवा पुस्तक।

(ix) ईंधन खाता।

(x) बजट पंजी।

(xi) सम्पत्ति पंजी।

(xii) निर्धारण पंजी।

(xiii) करों से सम्बन्धित मांग एवं संग्रहण पंजी।

(xiv) वाहन खाता।

(xv) टिकट खाता।

(xvi) जल संयोजन खाता।

(xvii) प्रगति प्रतिवेदन।

(xviii) भण्डार पंजी।

परिशिष्ट - 02 II

(कण्डिका - 12 से सन्दर्भित)

सौदे सं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ऋण जमा
[illegible]	[illegible]	4,302.60	[illegible]	4,302.60
568 से 624	"	48,020.10	42,084/-	5,936.10
625 से 656	"	19,607.30	18,608/-	1,000/-
725 से 765	"	44,162.65	33,062.55	11,100/-
766 से 801	"	34,843.60	34,73[illegible]	112/-
1025 से 1039	"	16,074.00	16,024/	5/-
	[illegible]			22,[illegible]/-

परिशिष्ट-III
(कण्डिका-13 से सन्दर्भित)

कर संग्रह की अवधि	कर जमा की तिथि	जमा की राशि (रु0)	जमा करने में विलम्ब
06/02/06 से 23/02/06	27/06/06	9,473/-	4 माह
24/02/06 से 31/03/06	27/02/07	43,084/-	11 से 12 माह।
19/04/06 से 27/07/06	09/05/07	18,608/-	9 से 12 माह।
01/08/06 से 10/10/06	30/05/07	22,878/-	7 से 10 माह।
14/11/06 से 30/11/06	03/08/07	19,286/-	8 माह।
08/01/07 से 27/03/07	19/03/08	33,063/-	11 से 13 माह।
24/04/07 से 23/10/07	28/03/08	34,734/-	4 से 11 माह।
02/01/08 22/02/08	10/04/08	9,963/-	2 से 3 माह।
03/03/08 से 31/03/08	25/06/08	42,893/-	3 माह।
07/04/08 से 21/07/08	01/11/08 तक → 06/11/08 →	34,697/- 9,504/-	4 से 7 माह।
01/08/06 से 31/03/07	27/03/08	7,600/-	12 से 20 माह।
15/05/07 से 17/02/08	28/03/08	5,100/-	1 से 9 माह।
25/02/08 से 14/08/08	01/11/08	5,250/-	2 से 8 माह।